UPUN010074792025

न्यायालय जिला जज, उन्नाव।

पीठासीन **अधिकारी– (अनिल कुमार वर्मा–प्रथम),** (उच्चतर **न्यायिक सेवा**) – UP6552

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–29/2025

1. जमुना देवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी स्वर्गीय चन्द्रसेन
2. अमरेन्द्र शेखर उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्द्रसेन
3. सुनैना उर्फ कंचनलता वयस्क विवाहित पुत्री स्वर्गीय चन्द्रसेन
4. अनामिका वर्मा वयस्क विवाहित पुत्री स्वर्गीय चन्द्रसेन

समस्त मूल निवासीगण ग्राम पकरिगवां परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव, हाल मुकाम मकान नं0 176/08 मोहल्ला पूरन नगर शहर व जिला उन्नाव।

.... अपीलार्थी/वादीगण।

बनाम

पुत्तनलाल उम्र लगभग 48 साल पुत्र स्वर्गीय रामरतन निवासी ग्राम पकरिगवां परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव। .....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी।

निर्णय (20.07.2026)

यह प्रकीर्ण दीवानी अपील, अर्न्तगत आदेश 43(1) सी0पी0सी0 के अर्न्तगत दीवानी वाद सं0–1110/2023 जमुना देवी आदि बनाम पुत्तनलाल में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) उत्तरी, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2025 जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र 5ग अस्थाई निषेधाज्ञा को निस्तारित करते हुए उसे निरस्त किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।

मामले से सम्बंधित सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध दावा स्थायी निषेधाज्ञा सहित प्रार्थना पत्र 5ग बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि वादीगण के पिता स्वर्गीय चन्द्रसेन ने श्रीमती छेदाना पत्नी स्वर्गीय परशुराम से दि0 21.12.2010 को जरिए पंजीकृत बैनामा प्लाट जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है–पूरब–कच्चा रास्ता (मौजूदा समय में आर0सी0सी0 सड़क), पश्चिम–मकान केशन, उत्तर–मकान चन्द्रावती, दक्षिण–मकान रामरानी, क्रय किया। इस प्लाट को नक्शा नजरी में अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है। चन्द्रसेन की मृत्यु दि0 15.04.2021 को हो गयी। चन्द्रसेन की मृत्यु के बाद वादीगण इस प्लाट पर काबिज व दखील हैं। इस प्लाट पर स्वर्गीय चन्द्रसेन ने अपने जीवनकाल में एक शौचालय बनवाया था। शेष भाग खाली पड़ा है। वादिनी अपने पति की मृत्यु के बाद उक्त प्लाट पर अपने पुत्र व पुत्रियों के साथ काबिज व दखील है। प्रतिवादी का उक्त प्लाट से कोई वास्ता–सरोकार न तो कभी रहा है और न ही वर्तमान में है। प्रतिवादी का कथन है कि उसने चन्द्रा पत्नी श्रीकृष्ण से उक्त

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 17:01:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

प्लाट को क्रय किया है जबकि चन्द्रा का उक्त प्लाट से कोई सम्बन्ध नहीं है। चन्द्रा ने वादिनी के पति चन्द्रसेन के विरूद्ध बैनामा दि0 21.12.2010 को निरस्त करने हेतु दी0 वाद सं0 470/2011 प्रस्तुत किया जो गुण–दोष के आधार पर दि0 05.02.2019 को खारिज हो गया था जिसकी अपील भी दि0 06.07.2023 को खारिज हो चुकी है। वादीगण अपने प्लाट पर निर्माण कराना चाहते हैं लेकिन प्रतिवादी वादीगण को उनके प्लाट पर निर्माण कार्य करने में अवरोध करता है तथा धमकी देता है कि वह प्लाट पर किसी प्रकार से निर्माण कराने नहीं देगे। वादीगण विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर, मालिक, काबिज हैं। अतः वादीगण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। अतः प्रतिवादीगण को प्लाट वर्णित उपरोक्त जिसे नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, पर अवैध रूप से कब्जा करके वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व दखल में कोई हस्तक्षेप करने व उक्त प्लाट में बने वादीगण के शौचालय को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त करने से दौरान वाद निषेधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादी की ओर से सूची 9ग/1 से सत्य प्रतिलिपि बैनामा बहक चन्द्रसेन दिनांकित 21.12.2010 का0 सं0 9ग/2 लगायत 9ग/8, सत्य प्रतिलिपि आदेश दि0 05.02.2019 न्यायालय सिविल जज जू0 डि0 उत्तरी उन्नाव बमुकदमा दी0 नं0 470/2011 श्रीमती चन्द्रा बनाम श्रीमती छेदाना का0 सं0 9ग/9 लगायत 9ग/14, सत्य प्रतिलिपि आदेश दि0 06.07.2023 बअदालत अपर जिला जज एफ0टी0सी0 उन्नाव बमुकदमा दी0 अपील सं0 08/2019 श्रीमती चन्द्रा बनाम श्रीमती छेदाना का0 सं0 9ग/15 लगायत 9ग/16, सूची 17ग/1 से सत्य प्रतिलिपि निर्णय दीवानी वाद सं0 63/1986 लक्ष्मी बनाम जगराम दिनांकित 30.09.1988 का0 सं0 17ग/2 लगायत 17ग/8, सत्य प्रतिलिपि निर्णय दी0 अपील सं0 59/1988 छेदाना बनाम तारा दिनांकित 21.10.1991 का0 सं0 17ग/9 लगायत 17ग/13 दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 5ग पर अपनी आपत्ति का0 सं0 15ग मय शपथ–पत्र 16ग प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि छेदाना का कोई भी वैवाहिक अथवा रक्त सम्बन्ध एवं परशुराम निवासी पकरिगवां से नहीं रहा है तथा जिस बैनामे के आधार पर वादीगण ने उक्त वाद दायर किया है, उसका कोई विधिक मूल्य सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं किये जाने के कारण शून्य है। वादीगण प्रश्नगत आराजी पर कभी भी काबिज नहीं रहे हैं। प्रतिवादी मुजीब उक्त आराजी पर अरसा दराज से काबिज चला आ रहा है और उक्त आराजी के वास्तविक स्वामी कुशेहर काछी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके परिवार का कोई भी पुरूष या महिला सदस्य जीवित नहीं है। मात्र चन्दा पत्नी श्रीकृष्ण काछी जो कि कुशेहर काछी के परिवार की सदस्य रहीं, उनसे प्रतिवादी मुजीब ने उक्त प्लाट लिया था। चन्दा कुशेहर काछी के सगे भाई रामदीन की पुत्री हैं। चन्द्रसेन जो कि ग्राम प्रधान था, के द्वारा बदनीयती से किसी फर्जी महिला को खड़ा करके उक्त आराजी प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया था किन्तु सफल नहीं हो पाया था। वास्तव में कुशेहर काछी की प्रश्नगत आराजी से प्रतिवादीगण अथवा किसी दीगर शख्श का कोई

स्वत्व या अधिकार नहीं है और स्वर्गीय कुशेहर काछी के परिवार की एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती चन्द्रा के द्वारा वाद सं0 470/2011 के द्वारा उक्त कथित चन्द्रसेन के बैनामा निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत किया गया था जो अनुपस्थिति में खारिज हो जाने का कोई प्रमाण एक अक्षम व्यक्ति के द्वारा किये गये बैनामा के आधार पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में नहीं है और वादीगण के काबिज नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद के सफल होने की संभावना नहीं है। प्रतिवादी उक्त प्रश्नगत आराजी पर एडवर्स पजेशन में है। प्रतिवादी मुजीब वादीगण के विरूद्ध मजबूत पक्ष रखता है। अतः वादकालीन निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र 5ग व आपत्ति 15ग पर सुनवाई के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2025 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 5ग को निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर दीवानी प्रकीर्ण अपील सं0 29/2025 योजित की गयी है।

प्रकीर्ण दीवानी अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि अपीलार्थी सं0 1 मृतक चन्द्रसेन की पत्नी है तथा अपीलार्थी सं0 2 चन्द्रसेन का पुत्र एवं अपीलार्थी सं0 3 व 4 चन्द्रसेन की विवाहित पुत्रियां हैं जो स्वर्गीय चन्द्रसेन के एकमात्र विधिक वारिस हैं तथा प्रश्नगत प्लाट पर काबिज व दखील हैं। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा व स्वत्व साबित करने के लिए बैनामा बहक चन्द्रसेन दि0 21.12.2010 व अन्य कागजात दाखिल किये, इन सभी दस्तावेजों पर विचारण न्यायालय ने बिना कोई विचार किये हुए अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से निरस्त किया है। विचारण न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि प्रश्नगत प्लाट की मालियत 56,000 रूपये है, जो कानून के प्रतिकूल है क्योंकि प्रश्नगत प्लाट मु0–5000 रूपये में क्रय किया गया था। प्रतिफल की धनराशि 5000 रूपये बैनामे पर अंकित है तथा 56,000 रूपये बाजारी मालियत अंकित है। यह 56,000 रूपये सरकारी मालियत है जिस पर नियमानुसार 2800 रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख बैनामे के पृष्ठ 5 पर अंकित है। विचारण न्यायालय ने सरकारी मालियत को बैनामे का मूल्यांकन मानकर विधिक त्रुटि की है। अपीलार्थीगण ने वाद–पत्र में प्रश्नगत प्लाट की कुल कीमत मु0–30,000 रूपये दिखायी है जिसमें शौचालय की कीमत भी शामिल है क्योकि प्रश्नगत प्लाट मात्र मु0–5000 रूपये में क्रय किया गया था। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 16.10.2025 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलार्थीगण का कब्जा साबित है तथा सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। उत्तर दाता प्रतिवादी ने अपनी आपत्ति/लिखित कथन में प्रश्नगत प्लाट पर मौखिक रूप से अपना कब्जा बताया है लेकिन कोई ऐसा प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उत्तर दाता प्रतिवादी का प्लाट पर कब्जा साबित हो सके।

इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 16.10.2025 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणिक साक्ष्य व कानून के प्रतिकूल होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.10. 2025 को निरस्त कर प्रार्थना पत्र 5ग बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर उत्तर दाता प्रतिवादी को प्रश्नगत प्लाट में किसी प्रकार का कब्जा करने व हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील के विरूद्ध आपत्ति 9क प्रस्तुत करके यह कथन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद के समस्त तथ्यों व हालातों के मद्देनजर और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों पर दृष्टिपात करने के उपरान्त ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है। क्योंकि जिस बैनामे के आधार पर वादीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, वह बैनामा करने के लिए सक्षम नहीं था। इस तथ्य पर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक् दृष्टिपात करने के उपरान्त ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध नहीं रहा है। अपीलान्ट्स प्रश्नगत आराजी पर कभी भी काबिज नहीं रहे हैं, न ही वर्तमान समय में अपीलान्ट्स का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा है। प्रश्नगत आराजी पर प्रत्यर्थी का ही कब्जा प्रश्नगत आराजी के वास्तविक स्वामी की मर्जी से है। उक्त आराजी व खण्डहर के स्वामी कुशेहर काछी थी जिनके परिवार के किसी भी सदस्य या वारिस के द्वारा कोई भी बैनामा निष्पादित नहीं किया गया था। इस कारण से वादीगण के द्वारा कथित बैनामे का कोई विधिक मूल्य नहीं है। अपीलान्ट्स का कब्जा ही प्रश्नगत आराजी पर नहीं है और अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत बैनामे का कोई भी विधिक मूल्य नहीं है तो अपीलान्ट्स को अपूर्णनीय क्षति पंहुचने की संभावना का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। अपीलान्ट्स द्वारा स्वच्छ हांथों से न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं किया है तथा सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस कारण अपील खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्तागण की ओर से अपील स्तर पर सूची 6ग से प्रमाणित प्रति आदेश दि0 16.10.2025, प्रमाणित छाया प्रति फार्मल आर्डर, नकल आदेश दि0. 05.02.2019 की छाया प्रति, नकल आदेश दि0 06.07.2023 की छाया प्रति, नकल बैनामा दिनांकित 21.12.2010 की छाया प्रति, नकल निर्णय दि0 30.09.1988 की छाया प्रति, नकल निर्णय दि0 21.10.1991 की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने 5000/– रूपये के विक्रय मूल्य तथा 56,000/– रूपये के सरकारी मूल्यांकन को अपने आदेश का मुख्य आधार बनाया है तथा अपने आदेश में यह भी उल्लिखित किया है कि वादी द्वारा वाद–पत्र में प्लाट पर स्वर्गीय चन्द्रसेन द्वारा शौचालय का निर्माण किये जाने का कथन किया गया है परन्तु उसका मूल्यांकन नहीं किया है। वादी द्वारा प्रश्नगत प्लाट की मालियत दावा मु0–30,000 रूपये किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्य की विधि पर आधारित है और यह

आवश्यक है कि पक्षकार न्यायालय के समक्ष बिना किसी तथ्य को छिपाये स्वच्छ हांथों से उपस्थित हों।

प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादीगण के कब्जे के बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि वादीगण द्वारा इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उक्त प्रश्नगत प्लाट पर स्वर्गीय चन्द्रसेन की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी व बच्चे का कब्जा व दखल है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतू माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में वर्णित प्रावधान उल्लेखनीय है–

1. Shyam Sel And Power Limited Vs Shyam Steel Industries Limited, (2023) 1 SCC 634

2.Visvesvaraya Industrial Research and Development Center, (2012)1 SCC 735 and

3. Moradabad Development Authority vs. Sai Sidhi Developers, AIR 2019 All 196.(Para 25)

4. Dalpat Kumar vs. Prahlad Singh, AIR 1993 SC 276

held that- **Principles Governing Grant of Interim Injunction: Following conditions must be fulfilled before grant of ad interim injunction under Order 39, rules 1& 2 CPC :**

(1) Prima facie case

(2) Balance of convenience

(3) Irreparable loss

(4) **Bona fide conduct of the party seeking injunction.**

अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने की पात्रता हेतु उपरोक्त तीनों शर्ते पूर्ण होना अनिवार्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रथम दृष्टया मामला न पाये जाने से सुविधा का संतुलन व वादीगण को अपूर्णनीय क्षति दर्शित न होने के कारण, निरस्त किया गया है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण के स्वामित्व का आधार उनके पति व पिता चन्द्रसेन के पक्ष में छेदाना पत्नी स्वर्गीय परशुराम द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दि0 21.12.2010 है तथा चन्द्रसेन की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त प्लाट पर वादीगण काबिज, दखील हैं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चन्द्रसेन की बैनामाकर्ता छेदाना का कोई वैवाहिक अथवा रक्त सम्बन्ध परशुराम निवासी पकरिगवॉ से नहीं था तथा बैनामे को सक्षम व्यक्ति के द्वारा न किये जाने के कारण बैनामा शून्य है तथा प्रतिवादी को उक्त आराजी के वास्तविक स्वामी कुशेहर काछी के परिवार की एकमात्र महिला सदस्य उनके सगे भाई रामदीन की पुत्री चन्दा पत्नी श्रीकृष्ण से प्राप्त हुई है तथा चन्दा द्वारा चन्द्रसेन के पक्ष में निष्पादित बैनामे के निरस्तीकरण का वाद सं0 470/2011 प्रस्तुत किया गया था जो

अनुपस्थिति में खारिज जाने से एक अक्षम व्यक्ति (छेदाना) द्वारा किये गये बैनामे के आधार पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के परिप्रेक्ष्य में अपील पत्रावली में संलग्न का0 सं0 6ग/22 लगायत 6ग/28 छाया प्रति नकल निर्णय दि0 30.09.1988 दी0 मु0 नं0 63/1986 लक्ष्मी बनाम जगराना बअदालत न्यायालय अपर मुंसिफ पंचम उन्नाव का अवलोकन करने से विदित होता है कि यह वाद जो लक्ष्मी पत्नी रामदीन बादहू श्रीमती तारा, श्रीमती चन्दा, श्रीमती सताना पुत्रीगण रामदीन द्वारा आराजी नं0 65 व 322 स्थित मौजा पकरिगवॉ परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के सम्बन्ध में श्रीमती जगराना व श्रीमती छेदाना के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। उसमें यह कथन किया गया कि रामदीन के भाई परशुराम थे जिनकी पत्नी दुलारा की मृत्यु हो जाने उनके भाई रामदीन नजदीकी वारिस व काबिज रामदीन हुए बादहू वादिनीगण की मॉ बादहू वादिनीगण हुए। प्रतिवादिनी सं0 1 जगराना परशुराम की लड़की है जिसकी शादी परशुराम ने अपने जीवनकाल में कर दी थी। प्रतिवादी सं0 2 छेदाना परशुराम की फर्जी पत्नी बनकर रामदीन से जायदाद लेना चाहती है, अर्थात परशुराम वाली जायदाद अपने हक में लिखाना चाहती है लेकिन परशुराम ने कोई अधिकार उसे अपने जीवनकाल में नहीं दिया तथा कोई लिखा–पढ़ी नहीं की। प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादिनीगण के नम्बरान पर कब्जा करना चाहती हैं। विद्वान न्यायालय अपर मुंसिफ पंचम उन्नाव द्वारा अपने निर्णय दि0 30.09.1988 में यह उल्लिखित करते हुए कि 'श्रीमती छेदाना का पुर्नविवाह परशुराम से होना साबित नहीं होता है', वादिनीगण श्रीमती तारा, श्रीमती चन्दा, श्रीमती सताना द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय आज्ञप्त किया गया।

निर्णय दि0 30.09.1988 के विरूद्ध प्रतिवादिनी सं0 2 श्रीमती छेदाना द्वारा सिविल अपील सं0 59/1988 श्रीमती छेदाना बनाम तारा आदि प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस अपील में निर्णय दिनांकित 21.10.1991 पारित करते हुए निर्णय में यह फाईडिंग दी गयी है कि ''वादिनी (श्रीमती लक्ष्मी बादहू तारा आदि) को अपना दावा कि छेदाना मृतक परसराम की पत्नी नहीं है, राजस्व न्यायालय में सिद्ध करना चाहिए और वही एक सक्षम न्यायालय है जो कि इस सन्दर्भ में उचित निर्णय साक्ष्य के आधार पर दे सकता है।'' निर्णय दिनांकित 21.10.1991 के माध्यम से श्रीमती छेदाना द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय स्वीकार की गयी तथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की गयी।

उभय–पक्ष की ओर से उक्त अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांकित 21.10.1991 के उपरान्त का कोई प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि छेदाना मृतक परशुराम की पत्नी है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय का कोई मत क्या अस्तित्व में है। इस प्रकार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर उठाये गये इस तर्क के समर्थन में वर्तमान में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि वादी की बैनामाकर्ता श्रीमती छेदाना द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील सं0 59/1988 श्रीमती छेदाना बनाम तारा आदि में पारित निर्णय दिनांकित 21.10.1991 के उपरान्त मामले

में क्या कार्यवाही उभय–पक्ष में अमल में लायी गयी।

वर्तमान समय में अपीलकर्ता के पूर्वज चन्द्रसेन के पक्ष में श्रीमती छेदाना द्वारा निष्पादित दि0 21.12.2010 का पंजीकृत विक्रय विलेख है। जब तक वह सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब वह वैध दस्तावेज है क्योंकि अपीलकर्तागण की ओर से प्रस्तुत का0 सं0 6ग/8 लगायत 6ग/12 तथा का0 सं0 6ग/14 के अवलोकन से विदित होता है कि इसी विक्रय विलेख को निरस्त कराने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी पक्ष श्रीमती चन्द्रा व श्रीमती सताना की ओर से दायर दी0 वाद सं0–470/2011 श्रीमती चन्दा बनाम श्रीमती छेदाना आदि दिनांक 05.02.2019 को एकपक्षीय रूप से तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं0–08/2019 श्रीमती चन्द्रा बनाम श्रीमती छेदाना दिनांक 06.07.20223 को खारिज हो चुके हैं। अतः ट्रायल कोर्ट को आलोच्य आदेश पारित करते समय उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखना चाहिए था लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने 5000/– रूपये के विक्रय मूल्य तथा 56,000/– रूपये के सरकारी मूल्यांकन को अपने आदेश का आधार बनाया है, जबकि यह अन्तर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार सामान्य बात है। अन्तरिम निषेधाज्ञा के निर्णय में सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्णायक प्रश्न नहीं होता। वाद–पत्र व आलोच्य आदेश में शौचालय निर्मित होना तथा कब्जे का उल्लेख किया गया है, यह भी आलोच्य आदेश में अंकित है कि वादी द्वारा इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उक्त प्रश्नगत प्लाट पर स्वर्गीय चन्द्रसेन की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी व बच्चे का कब्जा, दखल है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पृथक से कब्जे के उक्त बिन्दुओं पर कोई पृथक विस्तृत विचारण नहीं किया गया है।

इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2025 को विवादित भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 5ग के निरस्तीकरण हेतु जो आदेश पारित किया गया है, वह उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 निरस्त किये जाने एवं प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील तद्नुसार निस्तारित किये जाने तथा पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 5ग निर्णय में दिये गये निष्कर्षो के अनुसार विधिनुसार निस्तारण हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–29/2025 जमुना देवी आदि बनाम पुत्तनलाल, तद्नुसार निस्तारित की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में दिये गये निष्कर्षो के अनुसार प्रार्थना पत्र 5ग का विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उभय–पक्ष मूल पत्रावली में अग्रिम नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को विचारण न्यायालय की पत्रावली सहित

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित की जाये। शेष प्रकीर्ण अपील पत्रावली पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–20.07.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
जिला जज, उन्नाव।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–20.07.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
जिला जज, उन्नाव।

अजय